

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-75/2019/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मणी देवी, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेछवा, सीकर गुर्दाप्रत्यारोपण (स्वयं की बीमारी) के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस	विवरण
1	22.09.16	07.10.16	16	असाधारण अवकाश
	04.11.16	03.07.17	242	
2	10.07.17	10.08.17	32	
3	15.08.17	19.08.17	05	
4	06.09.17	02.10.17	27	
5	10.10.17	13.10.17	04	
6	22.10.17	24.10.17	03	
7	28.10.17	31.10.17	04	
		योग	353 दिवस	

उक्त आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में 323 दिवस अभिवृद्धि की जावेगी।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-75/2019/ 1017

दिनांक:- 26/7/19

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 153/एस.एम./एमएण्डएच/2019 दिनांक 27.06.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 3985/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 01.07.2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 1140 दिनांक 26.06.2019 के संदर्भ में।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर ।
5. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नेछवा, सीकर
6. श्रीमती मणी देवी, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
7. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर